



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276935
CG-DL-E-08102026-276935

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5157]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5157]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

का.आ. 5365(अ).— केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) अधीन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4488(अ), तारीख 14 अक्टूबर 2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 14 अक्टूबर 2024 द्वारा प्रकाशित की से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 512.057 हेक्टर (लगभग) या 1265.29 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विहित उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्रास है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 269.73 हेक्टर (लगभग) या 666.502 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है:

टिप्पण 1: इस अधिसूचना से संबंधित क्षेत्र का मानचित्र क्रमांक एसईसीएल/बीएसपी/जी. एम. (एलआर)/भूमि/24 तारीख 8 अक्टूबर, 2025 जिला सूरजपुर और बलरामपुर के कलेक्टर कार्यालय में, या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, पाँचवीं मंजिल, कोर 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092, या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में

टिप्पण 2: उपरोक्त अधिनियम की उपधारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है:

"8. अर्जन की बाबत आपत्तियां. - (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के अधीन यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम अधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में किसी हित का दावा करने का हकदार हो, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।"

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, पाँचवीं मंजिल, कोर 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092, को भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 4 अप्रैल 1987 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 905, दिनांक 20 मार्च 1987 द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची
मदननगर ओ.सी.पी. (उत्तर एवं दक्षिण खंड)
भटगाँव क्षेत्र
जिला - सूरजपुर एवं जिला - बलरामपुर (छत्तीसगढ़)

[रेखांक धारक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जी.एम. (एल & आर) / भूमि/24 दिनांक 8 अक्टूबर 2025 के अनुसार]

सभी अधिकार:

ब्लॉक-1

(अ) राजस्व भूमि

क्रमांक	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का क्र.	तहसील	जिला	क्षेत्र (हेक्टेयर में) धारा 4(1) के अंतर्गत	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) धारा 7(1) के अंतर्गत	टिप्पणी
1	गणेशपुर	28	प्रतापपुर	सूरजपुर	96.77	96.77	भाग
कुल (अ)					96.77	96.77	

(ब) आरक्षित / संरक्षित वन भूमि

क्रमांक	कम्पार्टमेंट नंबर	वन मंडल	परिक्षेत्र	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
1	43	सूरजपुर	प्रतापपुर	63.4	भाग (आरक्षित वन)
2	44	सूरजपुर	प्रतापपुर	8.2	भाग (आरक्षित वन)
3	P6	सूरजपुर	प्रतापपुर	82.17	भाग (संरक्षित वन)
4	P7	सूरजपुर	प्रतापपुर	18.49	भाग (संरक्षित वन)
कुल (ब)				172.26	

ब्लॉक-1 (अ)+(ब) = 269.03 हेक्टेयर

ब्लॉक-II

(स) संरक्षित वन भूमि:

क्रमांक	कम्पार्टमेंट नंबर	वन मंडल	परिक्षेत्र	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
1	P5	बलरामपुर- रामानुजगंज	राजपुर	0.700	आंशिक (संरक्षित वन)
कुल (स)				0.700	

कुल योग (ब्लॉक-I + ब्लॉक-II) 269.730 हेक्टेयर या 666.502 एकड़ (लगभग)

ग्रामवार प्लॉट का विवरण:

(ब्लॉक-1)

1. ग्राम गणेशपुर (भाग) में अधिग्रहित किए जाने वाले खसरा (प्लॉट) नंबर: 131(भाग), 133, 134, 135, 140(भाग), 142(भाग), 143/1, 143/2, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 152, 153(भाग), 154, 155, 156, 158(भाग), 159(भाग), 175(भाग), 176(भाग), 177(भाग), 180(भाग), 181, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 182/5, 183/1, 183/2, 184, 185/1, 185/2, 186, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 187/7, 187/8, 188, 189, 190, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 193, 194, 195, 196, 197(भाग), 198, 199(भाग), 215(भाग), 231(भाग), 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 247, 248(भाग), 249(भाग), 250(भाग), 251(भाग), 255(भाग), 258(भाग), 259(भाग), 260(भाग), 261(भाग), 262, 263/1, 263/2, 263/3, 264(भाग), 265(भाग), 266, 267, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 270, 271/1, 271/2, 272, 273/1, 273/2, 273/3, 274, 275, 276, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 278, 279, 280, 281, 282, 283/1, 283/2, 284, 285, 286, 287, 288, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 292/7, 293, 294/1, 294/2, 294/3, 294/4, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 296, 297/1, 297/2, 297/3, 298(भाग), 299(भाग), 300, 301(भाग), 309(भाग), 310(भाग), 311, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 313, 314, 315, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7, 316/8, 316/9, 316/10, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 318/5, 319, 320, 321, 322/1, 322/2, 323, 324, 325, 326, 327, 328।

2. संरक्षित वन के अधिग्रहित किए जाने वाले कम्पार्टमेंट नंबर: पी-6 (भाग), पी-7 (भाग)।

3. आरक्षित वन के अधिग्रहित किए जाने वाले कम्पार्टमेंट नंबर: 43 (भाग), 44 (भाग)।

(ब्लॉक-II)

संरक्षित वन के अधिग्रहित किए जाने वाले कम्पार्टमेंट नंबर: पी-5 (भाग)।

सीमा विवरण:

ब्लॉक-I

क-ख: रेखा बिन्दु 'क' ग्राम गणेशपुर के प्लॉट क्रमांक 310 भाग की दक्षिण-पश्चिम सीमा से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ख' पर मिलती है।

यह रेखा प्लॉट क्रमांक 310 भाग, 312, 315, 317, 318, 320, 321 एवं 326 की दक्षिणी सीमा से होकर गुजरती है।

ख-ग: रेखा बिन्दु 'ख' ग्राम गणेशपुर के प्लॉट क्रमांक 326 की दक्षिण-पूर्व सीमा से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ग' पर मिलती है।

यह रेखा संरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक पी-6 भाग से होकर गुजरती है।

ग-घ: रेखा बिन्दु 'ग' संरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक पी-6 भाग एवं आरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक 43 भाग की साझा सीमा से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा में ग्राम कनकनगर एवं कम्पार्टमेंट क्रमांक 43 भाग की साझा सीमा के साथ चलकर बिन्दु 'घ' पर मिलती है।

यह रेखा आरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक 43 भाग की दक्षिणी सीमा से होकर गुजरती है।

घ-ङ: रेखा बिन्दु 'घ' आरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक 43 भाग एवं आरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक 44 भाग की साझा सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ङ' पर मिलती है।

यह रेखा आरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक 44 भाग की दक्षिणी सीमा से होकर गुजरती है।

ङ-च: रेखा बिन्दु 'ङ' आरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक 44 भाग एवं संरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक पी-7 भाग की साझा सीमा से प्रारम्भ होकर पहले पश्चिम, फिर दक्षिण तथा तत्पश्चात् पूर्व दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'च' पर मिलती है।

यह रेखा ग्राम कनकनगर एवं संरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक पी-7 भाग की साझा सीमा से होकर गुजरती है।

च-छ: रेखा बिन्दु 'च' संरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक पी-7 भाग एवं ग्राम कनकनगर की साझा दक्षिणी सीमा से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'छ' पर मिलती है।

यह रेखा संरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक पी-7 भाग से होकर गुजरती है।

छ-ज: रेखा बिन्दु 'छ' आरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक 44 भाग एवं संरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक पी-7 भाग की साझा सीमा से प्रारम्भ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ज' पर मिलती है।

यह रेखा आरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक 44 भाग से होकर गुजरती है।

ज-झ: रेखा बिन्दु 'ज' आरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक 44 भाग एवं आरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक 43 भाग की साझा सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'झ' पर मिलती है।

यह रेखा आरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक 43 भाग से होकर गुजरती है।

झ-ञ: रेखा बिन्दु 'झ' संरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक पी 6 भाग एवं आरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक 43 भाग की साझा सीमा से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ञ' पर मिलती है।

यह रेखा संरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक पी-6 भाग से होकर गुजरती है।

ञ-ट: रेखा बिन्दु 'ञ' संरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक पी-6 भाग एवं ग्राम गणेशपुर के प्लॉट क्रमांक 231 भाग की साझा सीमा से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ट' पर मिलती है।

यह रेखा प्लॉट क्रमांक 231 भाग, 215 भाग, 250 भाग, 249 भाग, 248 भाग, 251 भाग, 265 भाग, 255 भाग एवं 264 भाग से होकर गुजरती हुई प्लॉट क्रमांक 261 भाग की पूर्वी सीमा तक पहुँचती है।

ट-ठ: रेखा बिन्दु 'ट' ग्राम गणेशपुर के प्लॉट क्रमांक 261 भाग की सीमा से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ठ' पर मिलती है।

यह रेखा प्लॉट क्रमांक 261 भाग, 260 भाग, 259 भाग, 258 भाग, 199 भाग, 140 भाग एवं 142 भाग से होकर गुजरती है।

ठ-ठ1: रेखा बिन्दु 'ठ' ग्राम गणेशपुर के प्लॉट क्रमांक 142 भाग एवं 137 के साझा कोने से प्रारम्भ होकर पहले उतर तथा तत्पश्चात पश्चिम दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ठ1' पर मिलती है।

यह रेखा प्लॉट क्रमांक 142 भाग, 135, 134, 133 एवं 131 भाग की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है।

ठ1-ठ2-ठ3-ड: रेखा बिन्दु 'ठ1' ग्राम गणेशपुर के प्लॉट क्रमांक 131 भाग एवं 159 भाग की साझा सीमा से प्रारम्भ होकर पहले दक्षिण दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ठ2' पर मिलती है, तत्पश्चात प्लॉट क्रमांक 157 की दक्षिण सीमा के साथ पश्चिम दिशा में चलकर बिन्दु 'ठ3' पर मिलती है तथा इसके बाद पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ड' पर मिलती है।

यह रेखा प्लॉट क्रमांक 159 भाग एवं 131 भाग की पूर्वी सीमा, प्लॉट क्रमांक 156 की उत्तरी सीमा तथा प्लॉट क्रमांक 158 भाग की उत्तर-पश्चिम सीमा से होकर गुजरती है।

ग्राम गणेशपुर का प्लॉट क्रमांक 157 इस अधिग्रहण से बाहर रखा गया है।

ड-ड: रेखा बिन्दु 'ड' ग्राम गणेशपुर के प्लॉट क्रमांक 158 भाग की उत्तर-पश्चिम सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ड' पर मिलती है।

यह रेखा प्लॉट क्रमांक 158 भाग, 159 भाग, 153 भाग, 180 भाग एवं 177 भाग से होकर गुजरती है।

ड-क: रेखा बिन्दु 'ड' ग्राम गणेशपुर के प्लॉट क्रमांक 177 भाग से प्रारम्भ होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'क' पर मिलती है।

यह रेखा प्लॉट क्रमांक 177 भाग, 176 भाग, 175 भाग, 197 भाग, 298 भाग, 299 भाग, 301 भाग, 309 भाग एवं 310 भाग से होकर गुजरती है।

ड-ड1-ड2-ठ1-ठ2-ठ3-ड: रेखा बिन्दु 'ड' ग्राम गणेशपुर के प्लॉट क्रमांक 158 भाग से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ड1' पर मिलती है, तत्पश्चात उत्तर दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ड2' पर मिलती है, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ठ1' पर मिलती है, फिर दक्षिण दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ठ2' पर मिलती है तथा इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ठ3' पर मिलती है और अंततः पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर चलकर पुनः बिन्दु 'ड' पर मिलती है।

इस क्षेत्र में प्लॉट क्रमांक 159 भाग सम्मिलित है।

ब्लॉक- II

क-ख-ग: रेखा बिन्दु 'क' संरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक पी-5 भाग एवं ग्राम कनकनगर की साझा सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ख' पर मिलती है, जो संरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक पी-5 भाग, ग्राम कनकनगर एवं ग्राम चौरा के त्रि-संगम बिन्दु पर स्थित है। इसके बाद रेखा पूर्व दिशा की ओर चलकर बिन्दु 'ग' पर मिलती है तथा तत्पश्चात उत्तर-पूर्व दिशा की ओर चलकर पुनः बिन्दु 'क' पर मिलती है।

इस क्षेत्र में संरक्षित वन कम्पार्टमेंट क्रमांक पी-5 भाग सम्मिलित है।

[फा.सं. 43015/11/2024-एलएआईआर]

डॉ. गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2026

S.O. 5365(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 4488(E), dated the 14th October, 2024 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th October, 2024, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 512.057 hectares (approximately) or 1265.29 acres (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to the said notification;

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 269.730 hectares (approximately) or 666.502 acres (approximately) and all rights in or over the said lands described in the schedule appended hereto;

Note 1.- The Plan bearing number SECL/BSP/GM(L&R)/LAND/24 dated the 8th October, 2025 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Surajpur and Balrampur or in the office of the Coal Controller, Coal Controller Organization, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th Floor, Core II, Laxmi Nagar, Delhi 110092 or in the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh).

Note 2.- Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows:

“8. Objections to acquisition. (1) - Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

Explanation - It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of the Government.

(3) For the purposes of the section, a person shall be deemed to be interested in land, who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

Note 3. - The Coal Controller, Coal Controller's Organization, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th Floor, Core II, Laxmi Nagar, Delhi 110092, has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, *vide* notification number S.O. 905, dated the 20th March, 1987, published in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 4th April, 1987.

SCHEDULE
MADANNAGAR OCP (North and South Block)
BHATGAON AREA
DISTRICT-SURAJPUR & BALRAMPUR (CHHATTISGARH)

[Plan bearing number SECL/BSP/GM(L&R)/LAND/24 dated the 8th October, 2025]

ALL RIGHT:

(BLOCK-I)

(A) REVENUE LAND:

Sl. No.	Name of village	Patwari Halka No.	Tehsil	District	Area in Ha (As per u/s 4(1))	Area to be Proposed (u/s 7(1)) in Ha	Remarks
1	Ganeshpur	28	Pratappur	Surajpur	96.770	96.770	Part
Total (A)					96.770	96.770	

(B) RESERVE/PROTECTED FOREST LAND:

Sl. No.	Compartment No.	Range	Division	Area (In Ha.)	Remarks
1	43	Surajpur	Pratappur	63.40	Part (Reserve Forest)
2	44	Surajpur	Pratappur	8.20	Part (Reserve Forest)
3	P6	Surajpur	Pratappur	82.17	Part (Protected Forest)
4	P7	Surajpur	Pratappur	18.49	Part (Protected Forest)
Total (B)				172.26	
Total BLOCK I (A) + (B) = 269.03 hectares					

(BLOCK-II)

(C) PROTECTED FOREST LAND:

Sl. No.	Compartment No.	Division	Range	Area (In HA)	Remarks
1	P5	Balrampur-Ramanujgang	Rajpur	0.70	Part (Protected Forest)
Total Block - II				0.70	

Grand Total: (Block I + Block II) = 269.730 hectares (approximately) or 666.502 acres (approximately)
Description of Plots Village wise:

(BLOCK-I)

- Plot number to be acquired in Village Ganeshpur: (Part-V) - 131(Part), 133, 134, 135, 140(Part), 142(Part), 143/1, 143/2, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 152, 153(Part), 154, 155, 156, 158(Part), 159(Part), 175(Part), 176(Part), 177(Part), 180(Part), 181, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 182/5, 183/1, 183/2, 184, 185/1, 185/2, 186, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 187/7, 187/8, 188, 189, 190, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 193, 194, 195, 196, 197(Part), 198, 199(Part), 215(Part), 231(Part), 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 247, 248(P), 249(Part), 250(Part), 251(Part), 255(Part), 258(Part), 259(Part), 260(Part), 261(Part), 262, 263/1, 263/2, 263/3, 264(Part), 265(Part), 266, 267, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 270, 271/1, 271/2, 272, 273/1, 273/2, 273/3, 274, 275, 276, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 278, 279, 280, 281, 282, 283/1, 283/2, 284, 285, 286, 287, 288, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 292/7, 293, 294/1, 294/2, 294/3, 294/4, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 296, 297/1, 297/2, 297/3, 298(Part), 299(Part), 300, 301(Part), 309(Part), 310(Part), 311, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 313, 314, 315, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7, 316/8, 316/9, 316/10, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 318/5, 319, 320, 321, 322/1, 322/2, 323, 324, 325, 326, 327, 328.

2. COMPARTMENT NUMBER TO BE ACQUIRED IN PROTECTED FOREST: No. P-6 (Part), P-7 (Part).
3. COMPARTMENT NUMBER TO BE ACQUIRED IN RESERVE FOREST: 43 (Part), 44 (Part).

(BLOCK-II)

COMPARTMENT NUMBER TO BE ACQUIRED IN PROTECTED FOREST: Number. P-5 (Part).

Boundary Description:

(BLOCK-I)

A-B: The line starts from Point 'A' at Plot No. 310 (Part) of Village Ganeshpur and proceeds eastwards to meet at Point 'B'. This line passes through the southern boundary of Plot Nos. 310 (Part), 312, 315, 317, 318, 320, 321, and 326 (Part) of Village Ganeshpur, reaching Point 'B'.

B-C: The line from Point 'B' runs along the common boundary of Plot No. 326 of Village Ganeshpur and Protected Forest (Compartment No. 06) towards the east and meets Point 'C' at the boundary between Protected Forest (Compartment No. 06) and Reserved Forest (Compartment No. 43). This line passes through Protected Forest Compartment Number P-6 (Part).

C-D: The line from Point 'C' runs along the common boundary of Protected Forest (Compartment No. 06) and Reserved Forest (Compartment No. 43) eastwards, meeting Point 'D' at the boundary of Reserved Forest (Compartment No. 43) and Reserved Forest (Compartment No. 44). This line passes through the southern boundary of Reserved Forest Compartment Number 43 (Part).

D-E: The line from Point 'D' runs along the common boundary of Reserved Forest (Compartment No. 43) and Reserved Forest (Compartment No. 44) south-eastern direction, reaching Point 'E' at the boundary of Reserved Forest (Compartment No. 44) and Protected Forest (Compartment No. P-7). This line passes through the southern boundary of Reserved Forest Compartment Number 44

(Part).

E-F: The line from Point 'E' runs along the common boundary of Reserved Forest (Compartment No. 44) and Protected Forest (Compartment No. P-7) and runs first towards the west, then towards the south, and thereafter towards the east direction to meet Point 'F'. This line passes through the common boundary of Village Kanaknagar and Protected Forest Compartment Number P-7 (Part).

F-G: The line from Point 'F' runs northwards to Point 'G' at the boundary of Protected Forest (Compartment No. P-7) and Reserved Forest (Compartment No. 44). This line passes through the Protected Forest Compartment Number P-7 (Part).

G-H: The line from Point 'G' runs along the common boundary of Protected Forest (Compartment No. P-7) and Reserved Forest (Compartment No. 44) north-westwards, meeting Point 'H' at the boundary of Reserved Forest (Compartment No. 44) and Reserved Forest (Compartment No. 43). This line passes through the Reserved Forest Compartment Number 44(Part).

H-I: The line from Point 'H' runs along the common boundary of Reserved Forest (Compartment No. 44) and Reserved Forest (Compartment No. 43) south-westwards, meeting Point 'I' at the boundary of Reserved Forest (Compartment No. 43) and Protected Forest (Compartment No. P-6). This line passes through the Reserved Forest Compartment Number 43 (Part).

I-J: The line from Point 'I' runs along the common boundary of Reserved Forest (Compartment No. 43) and Protected Forest (Compartment No. 06) westwards, meeting Point 'J' at the boundary of Protected Forest (Compartment No. P-6) and Plot No. 231 (Part) of Village Ganeshpur.

This line passes through the Protected Forest Compartment Number P-6 (Part).

J-K: The line from Point 'J' runs westwards along the boundary of Protected Forest (Compartment No. P-6) and Plot No. 231 (Part) of Village Ganeshpur, meeting Point 'K'. This line passes through Plot Nos. 231 (Part), 215 (Part), 250 (Part), 249 (Part), 250 (Part), 248 (Part), 251 (Part), 265 (Part), 255 (Part), 264 (Part), and 261 (Part) of Village Ganeshpur, reaching Point 'K'.

K-L: The line from Point 'K' runs northwards from Plot No. 261 (Part) of Village Ganeshpur, reaching Point 'L'. This line passes through Plot Nos. 261 (Part), 260 (Part), 259 (Part), 258 (Part), 199 (Part), 140 (Part), and 142 (Part) of Village Ganeshpur.

L-L1: The line starts from Point 'L' on the Plot Number 142 (Part) of Village Ganeshpur and runs first towards the north and then towards the west direction to meet Point 'L1'. This line passes through the northern boundary of Plot Numbers 142 (Part), 135, 134, 133, and 131 (Part).

L1-L2-L3-M: The line starts from Point 'L1' on the common boundary of Plot Numbers 131 (Part) and 159 (Part) of Village Ganeshpur, and runs first in the south direction to meet Point 'L2', then in the west direction along the southern boundary of Plot Number 157 to meet Point 'L3', and thereafter in the west and south-west directions to meet Point 'M'. This line passes through the eastern boundary of Plot Numbers 159 (Part) and 131 (Part) western, the northern boundary of Plot Number 156, and the north-western boundary of Plot Number 158 (Part) of village Ganeshpur.

Plot Number 157 of Village Ganeshpur is excluded from this acquisition.

M-N: The line starts from Point 'M' runs southwards from Plot No. 158 (Part) of Village Ganeshpur, reaching Point 'N'. This line passes through Plot Nos. 158 (Part), 159 (Part), 153 (Part), 180 (Part), and 177 (Part) of Village Ganeshpur.

N-A: The line starts from Point 'N' runs south-westwards from Plot No. 177 (Part) of Village Ganeshpur, reaching back at Point 'A'. This line passes through Plot Nos. 177 (Part), 176 (Part), 175 (Part), 176 (Part), 197 (Part), 298 (Part), 299 (Part), 298 (Part), 299 (Part), 301 (Part), 309 (Part), and 310 (Part) of Village Ganeshpur.

M-M1-M2-L1-L2-L3-M: The line starts from Point 'M' on Plot Number 158 (Part) of Village Ganeshpur and runs in the west direction to meet Point 'M1', then runs in the north direction to meet Point 'M2', thereafter runs in the east direction to meet Point 'L1', then runs in the south direction to meet Point 'L2', thereafter runs in the west direction to meet Point 'L3', and finally runs in the west and south-west directions to meet back at Point 'M'.

This area contains Plot Number 159 (Part).

(BLOCK-II)

A-B-C: The line starts from Point 'A' on the common boundary of Protected Forest Compartment Number P-5 (Part) and Village Kanaknagar, and runs in the south-west direction to meet Point 'B' at the tri-junction point of Protected Forest Compartment Number P-5 (Part). Village Kanaknagar, and Village Chaura. Thereafter, the line runs in the east direction to meet Point 'C', and then runs in the north-east direction to meet back at Point 'A',

[F. No. 43015/11/2024-LAIR]

Dr. GOPAL SINGH, Jt. Secy.